

# THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

**No.** 811

10 Kartik, 1938 (S) Ranchi, Wednesday, 1<sup>st</sup> November, 2017

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

24th October, 2017

- **S.O. No. 116 Dated- 1**<sup>st</sup> **November, 2017** -- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017,
  - (i) in rule 89, in sub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
    - "Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, -
    - (a) the recipient of deemed export supplies; or
    - (b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund";
  - (ii) in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a), after the words "after the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted;
  - (iii) in FORM GST RFD-01,
  - (a) for "Statement-2", the following Statement shall be substituted, namely:-

**"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]** 

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr.	Invo	Invoice details		Integrated		Cess	BRC/		Integrated Integrated		Net
No.				tax			Fl	RC	tax and	tax and	Integrated
	No.	Date	Value	Taxable	Amt.		No. Date		cess	cess	tax and
				value					involved	involved	cess
									in debit	in credit	(6+7+10 -
									note, if	note, if	11)
									any	any	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											",

(b) for "Statement-4", the following Statement shall be substituted, namely:-

#### "Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN	Invoice details		Shipping		Integrated Tax		Cess	Integrated	Integrated	Net	
of				bill	Bill Bill				tax and	tax and	Integrat
recipient				of ex	kport/				cess	cess	ed tax
				End	orsed				involved	involved	and cess
				inv	oice				in debit	in credit	(8+9+10
				by	SEZ				note, if	note, if	-11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable	Amt.		any	any	
						Value					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											."

3. This notification shall be deemed to be effective from 18<sup>th</sup> October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand,

#### K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Jharkhand Gazette vide S.O No. 28/2017-State Tax, dated the  $20^{th}$  June, 2017 and last amended vide S.O No. 115/2017-State Tax, dated the  $25^{th}$  October, 2017.

-----

#### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 24 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰- 116 दिनांक 1 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम 2017 है।
- 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 में,
- (i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --

- (क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता ; या
- (ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";
- (ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अतिरिक्त अविध जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ;

### (iii)प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 01 में,

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

### **"विवरण 2 [नियम 89 (2) (ग)]**

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

#### (रकम रुपयों में)

क्रम	र्ब	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		बी3	गरसी/	नामे	जमापत्र,	शुद्ध
सं.							एफआईआरसी		नोट, यदि	यदि कोई	_
	सं.	. तारीख मूल्य		कराधेय	रकम		सं. तारीख		कोई हो,	हो, में	कर और
			•	मूल्य					में	अंतर्वलित	उपकर
									अंतवर्लित	एकीकृत	(6+7+10
									एकीकृत	कर और	- 11)
									कर और	उपकर	
									उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Ι"

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

## "विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ)और 89 (2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

# (रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता	बीजक ब्यौरे			पोत	परिवहन	एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट	जमा	शुद्ध
का				पत्र/	निर्यात				यदि कोई	पत्र, यदि	एकीकृत
जीएसटी				बिल	/ विशेष				हो, में	कोई हो,	कर
आईएन				आरि	र्वक जोन				अंतर्वलित	में	और
				पृष	ठांकित				एकीकृत	अंतर्वलित	उपकर
				<u>e</u>	ीजक				कर और	एकीकृत	
	सं.	सं. तारीख मूल्य		सं.	तारीख	कराधेय			उपकर	कर और	(8+9+
						मूल्य	रकम			उपकर	10-
											11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											."

### 3. यह अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

(टिप्पणी : मूल अधिसूचना, झारखंड के राजपत्र, अधिसूचना एस०ओ० 28, दिनांक 20 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 115 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के अनुसार हुआ था ।

-----